

Perfect 🙌 Let's begin with **Chapter 2 – Supply Under GST** translated into Hindi.

(Important technical terms like GST, ITC, RCM etc. I'll keep in English for clarity, just as in study material.)

अध्याय 2 – GST के अंतर्गत आपूर्ति

अनुसूची III (Schedule III) – CGST अधिनियम

यह अनुसूची उन लेन-देन से संबंधित है जिन्हें न तो वस्तु माना जाएगा और न ही सेवा। इसमें अब दो नए पैराग्राफ जोड़े गए हैं – पैराग्राफ 9 और 10।

हमारे **CA Intermediate** पाठ्यक्रम में अनुसूची III के पैराग्राफ 1 से 6 तथा 9 और 10 शामिल हैं। पैराग्राफ 7 और 8 को CA Final स्तर पर पढ़ाया जाएगा।

पैराग्राफ 9 – Co-Insurance Premium

Apportionment

पृष्ठभूमि: Co-Insurance क्या है?

मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी को अपने ₹100 करोड़ के ऑफिस भवन का बीमा करवाना है।

एक ही बीमा कंपनी पूरा जोखिम न लेकर, कंपनी तीन बीमा कंपनियों से संपर्क करती है।

- तीनों कंपनियाँ आपस में जोखिम बाँट लेती हैं।
- सुविधा के लिए केवल एक कंपनी (Lead Insurer) पॉलिसी जारी करेगी, पूरा प्रीमियम लेगी और दावों (claims) को मैनेज करेगी।
- इसे **Co-Insurance Agreement** कहते हैं।

📌 उदाहरण:

- ग्राहक ने ₹1,00,000 प्रीमियम दिया।
- Lead Insurer (A) अपने हिस्से ₹50,000 रख लेता है और शेष राशि Co-Insurers को भेजता है (₹30,000 B को, ₹20,000 C को)।

समस्या:

GST के दृष्टिकोण से सवाल उठा – जब Insurer A बाकी रकम B और C को देता है, क्या यह “सेवा की आपूर्ति” मानी जाएगी और उस पर GST लगेगा?

समाधान (Para 9):

अब स्पष्ट कर दिया गया है कि –

👉 Lead Insurer द्वारा Co-Insurers को प्रीमियम का बाँटना “न तो वस्तु की आपूर्ति है और न ही सेवा की आपूर्ति”।

शर्त: Lead Insurer को ग्राहक से प्राप्त पूरे प्रीमियम पर GST चुकाना होगा।

सारांश:

- यदि Lead Insurer पूरे प्रीमियम पर GST चुका देता है,
 - तो Co-Insurance प्रीमियम का बाँटना दोबारा टैक्स योग्य नहीं होगा।
- ✓ इससे डबल टैक्सेशन से बचाव और अनुपालन आसान हो जाता है।

पैराग्राफ 10 – Reinsurance & Ceding

Commission

पृष्ठभूमि: Reinsurance और Ceding Commission क्या है?

मान लीजिए Insurer A ने एक फैक्ट्री मालिक को ₹1,00,000 का प्रीमियम लेकर बीमा बेचा।

जोखिम कम करने के लिए A, Reinsurer B को 50% जोखिम सौंप देता है – और इसके बदले ₹50,000 देता है।

लेकिन Reinsurer B, A को ₹10,000 वापस देता है, जिसे **Ceding Commission** कहते हैं।

संशय:

क्या यह ₹10,000 (Commission) Insurer A द्वारा Reinsurer B को कोई सेवा देने जैसा है, जिस पर GST लगेगा?

स्पष्टीकरण (Para 10):

👉 अब यह स्पष्ट किया गया है कि Ceding Commission पर GST नहीं लगेगा।

शर्त: Reinsurer को पूरे ₹50,000 पर GST चुकाना होगा (जिसमें Commission का हिस्सा शामिल है)।

सारांश:

- Reinsurer ₹50,000 पर GST देगा।
- Insurer को मिला ₹10,000 Commission टैक्स योग्य नहीं होगा।

✓ इससे Compliance आसान हो जाता है और Double Taxation से बचाव होता hwi

बहुत बढ़िया 👍

तो हम पूरा दस्तावेज़ अध्याय-दर-अध्याय हिंदी में अनुवाद करेंगे और अंत में

एक हिंदी PDF बना देंगे।

मैंने पहले ही अध्याय 2 – आपूर्ति (Supply under GST) का अनुवाद कर दिया है।

अब शुरू करते हैं अध्याय 3 – GST का चार्ज (Charge of GST)।

अध्याय 3 – GST का चार्ज

धारा 9(1) – कुछ अल्कोहल से संबंधित उत्पादों पर GST लागू नहीं

(संशोधन – 01.11.2024 से प्रभावी)

पृष्ठभूमि:

मानव उपभोग हेतु **Alcoholic liquor** पर GST लागू नहीं होता है। यह सभी छात्रों को शुरू से बताया जाता है।

लेकिन समस्या तब आती है जब बात आती है **Extra Neutral Alcohol (ENA)** और **Rectified Spirit** की, जो सीधे पीने के लिए नहीं बल्कि उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं – जैसे

- परफ्यूम
- फार्मास्यूटिकल्स
- पेंट
- या पीने योग्य शराब (liquor) बनाने में

समस्या पहले:

कानून में केवल "alcoholic liquor for human consumption" को बाहर रखा गया था।

ENA और Rectified Spirit का नाम नहीं था।

इसलिए विवाद हुआ –

- कुछ लोग कहते थे GST लागू होना चाहिए।
- कुछ कहते थे अगर अंत उपयोग शराब बनाने में है तो GST नहीं लगाना चाहिए।

राज्यों में अलग-अलग High Court निर्णय आए।

संशोधन (01.11.2024 से):

अब स्पष्ट रूप से कहा गया है कि –

👉 यदि ENA या Rectified Spirit का उपयोग **मानव उपभोग हेतु Liquor** बनाने में होगा, तो उस पर GST नहीं लगेगा।

👉 लेकिन यदि वही ENA परफ्यूम, पेंट आदि में उपयोग होगा तो GST लगेगा।

सारांश:

- मानव उपभोग हेतु शराब पर GST नहीं।
- ENA/Rectified Spirit जब liquor बनाने में उपयोग हो – तब GST नहीं।
- अन्य उपयोग में GST लागू होगा।

Reverse Charge Mechanism (RCM) में संशोधन

Notification No. 07/2025 – CT(R) दिनांक 16.01.2025 से प्रभावी

- **Sponsorship Services (Sl. No. 4 में बदलाव):**
- पहले – Sponsorship सेवाएँ किसी भी व्यक्ति द्वारा body corporate/partnership firm को दी जाएँ तो RCM लागू था।
- अब – केवल तब RCM लागू होगा जब Sponsor **non-body corporate (जैसे individual, HUF, firm, AOP)** होगा।
- यदि Sponsor कोई कंपनी है, तो अब वह खुद GST भरेगी।

✅ उदाहरण:

- यदि एक Proprietor किसी Pvt Ltd कंपनी को Sponsorship देता है → कंपनी GST देगी (RCM)।
- यदि एक Company किसी दूसरी Company को Sponsorship देती है → Supplier कंपनी खुद GST देगी।
- **नया Entry 5AB – Renting of Immovable Property (Commercial):**
- यदि Unregistered व्यक्ति कोई **Commercial Property** Registered व्यक्ति (non-composition) को किराए पर देता है → RCM लागू होगा।
- यदि किरायेदार Composition Dealer है → RCM लागू नहीं होगा।

✓ उदाहरण:

- Unregistered मकान मालिक ने ABC Ltd. को दुकान किराए पर दी → GST ABC Ltd. को RCM के तहत भरना होगा।
- वही मकान मालिक Mr. Sharma (composition dealer) को दुकान देता है → GST नहीं लगेगा।

DDA (Delhi Development Authority) – Local Authority नहीं

Circular Jan 2025

- Local Authority की परिभाषा Sec 2(69) CGST Act के अनुसार – चुनावी निकाय होना चाहिए और Municipal Fund संभालना चाहिए।
- DDA न तो चुना हुआ निकाय है और न ही कोई Local Fund संभालता है।

👉 इसलिए DDA Local Authority नहीं है।

👉 DDA की सेवाओं पर GST Forward Charge से लगेगा, न कि RCM से।

✓ यह था अध्याय 3 का हिंदी अनुवाद।

👉 क्या मैं अब अध्याय 4 – Composition Levy का अनुवाद जारी रखूँ?
ठीक है 👍 अब मैं आपके लिए अध्याय 4 – Composition Levy का हिंदी अनुवाद कर देता हूँ।

अधिक है 👍 अब मैं आपके लिए अध्याय 6 –
Exemptions from GST (जीएसटी से छूट) का
हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करता हूँ।

अध्याय 6 – GST से छूट (Exemptions from GST)

धारा 11A – जब सरकार पुराने प्रचलन (Old Trade Practices) के कारण GST माफ कर सकती है पृष्ठभूमि

कई बार ऐसा होता है कि किसी उद्योग/व्यापार में सालों से एक सामान्य प्रथा (practice) चली आ रही है, जिसमें GST नहीं लगाया जाता।

- व्यापारी जानबूझकर कर चोरी नहीं कर रहे होते।
- स्थानीय GST अधिकारी भी इस पर आपत्ति नहीं उठाते।
- सभी लोग उसी तरीके से व्यापार करते रहते हैं।

👉 बाद में जब Department नोटिस भेजता है तो यह समस्या खड़ी हो जाती है कि टैक्स क्यों नहीं लिया गया।

उदाहरण:

Food Corporation of India (FCI) किसानों से

Paddy खरीदती है और उसे Rice Mills को देती है।

Mills, Paddy को चावल में बदलकर वापस करती हैं और इसके लिए "Custom Milling Charges" लेती हैं।

कई राज्यों में इन Milling Charges पर GST नहीं लिया जाता था क्योंकि यह प्रचलित प्रथा थी।

बाद में Department ने नोटिस भेजे – "Milling Service taxable है, आपको GST देना चाहिए था।"

👉 इससे पूरे उद्योग में असमंजस और विवाद हो गया।

समाधान – धारा 11A

(01.11.2024 से लागू)

अब सरकार को यह अधिकार है कि वह ऐसे मामलों में पुराने टैक्स दावे **माफ** कर सके, अगर –

- सामान्य रूप से पूरे उद्योग/क्षेत्र में टैक्स नहीं लगाया जा रहा था।
- सरकार को यह संतोष हो कि –

- यह आपूर्ति टैक्स योग्य थी, लेकिन सामान्य प्रथा के कारण टैक्स नहीं वसूला गया।
- या फिर कम दर से टैक्स लिया गया।

👉 ऐसे मामलों में सरकार Notification जारी कर सकती है और कह सकती है –

- पिछली सप्लाई पर टैक्स नहीं देना होगा।
- या जो अतिरिक्त टैक्स होना चाहिए था, वह माफ किया जाता है।

✓ इससे ईमानदार करदाताओं को राहत मिलेगी और पुराने विवाद समाप्त होंगे।

मौजूदा छूटों में संशोधन

Notification No. 06/2025 – CT(R) एवं IT(R), दिनांक 16.01.2025

A. बिजली से जुड़ी सेवाएँ (Sl. No. 25A)

- पहले केवल बिजली के Transmission और Distribution पर छूट थी।
- अब स्पष्ट किया गया है कि निम्न सेवाएँ भी छूट

में आएँगी (जब Electricity Utilities द्वारा दी जाएँ):

- मीटर किराए पर देना
- मीटर/ट्रांसफार्मर टेस्टिंग
- नई कनेक्शन सेवा
- मीटर या लाइन shifting
- Duplicate Bill जारी करना

👉 अब ये सभी सेवाएँ बिजली आपूर्ति की Ancillary Services मानी जाएँगी और GST से छूट होंगी।

B. व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास (Sl. No. 69)

अब छूट का दायरा बढ़ाकर निम्न संस्थाओं को शामिल किया गया है:

- NSDC (National Skill Development Corporation)
- NCVET (National Council for Vocational Education & Training)
- Awarding Bodies और Assessment

Agencies (जो NCVET द्वारा मान्यता प्राप्त हैं)

- Training Partners (NSDC approved)

👉 केवल उन्हीं प्रशिक्षण सेवाओं पर छूट मिलेगी जो राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम या NSQF आधारित पाठ्यक्रम से जुड़ी हों।

C. नई छूट – मोटर वाहन दुर्घटना कोष बीमा (Sl. No. 36B)

Motor Vehicle Accident Fund (धारा 164B, Motor Vehicles Act, 1988) को दिए गए बीमा योगदान पर अब GST नहीं लगेगा।

- जब आप Third Party Motor Insurance खरीदते हैं, उसका एक हिस्सा इस Fund में जाता है।
- पहले इस हिस्से पर भी GST लगता था।
- अब यह पूरी तरह **GST मुक्त** है।

👉 इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवज़ा और इलाज की सुविधा देना है।

D. नई परिभाषा – “Insurer”

अब Notification में “Insurer” की परिभाषा जोड़ी गई है, जो Insurance Act, 1938 से ली गई है।

इसमें शामिल हैं:

- भारतीय बीमा कंपनियाँ
- वैधानिक बीमा संस्थाएँ (जैसे LIC, ECGC)
- बीमा सहकारी समितियाँ
- विदेशी Reinsurer (जैसे Lloyd's of London)

स्पष्टीकरण – MCD मुख्यालय को दी गई Facility

Management Services

Circular No. 245/02/2025 – दिनांक 28.01.2025

- MCD ने तर्क दिया कि उसे Local Authority माना जाता है, इसलिए उसके HQ की Housekeeping, Civil Maintenance,

Horticulture जैसी सेवाएँ GST से छूट होनी चाहिए।

- लेकिन स्पष्टीकरण दिया गया –

👉 छूट केवल उन्हीं सेवाओं पर मिलेगी जो नगरपालिका को संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत सौंपे गए कार्यों से संबंधित हों।

👉 HQ की सफाई, फर्नीचर देखभाल, गार्डनिंग केवल प्रशासनिक खर्च हैं → GST लागू होगा।

✅ यह था अध्याय 6 – Exemptions from GST का हिंदी अनुवाद।

👉 क्या मैं अब अध्याय 7 – Time of Supply (आपूर्ति का समय) का भी अनुवाद करूँ?

अध्याय 4 – Composition Levy

धारा 10(5) में संशोधन (01.11.2024 से प्रभावी)

पृष्ठभूमि:

वित्त अधिनियम (No. 2), 2024 द्वारा नई धारा 74A को 01.11.2024 से लागू किया गया है।

यह धारा उन मामलों के लिए है जहाँ:

- कर का भुगतान नहीं हुआ,
- कम भुगतान हुआ,
- या ITC गलत तरीके से लिया गया,

चाहे यह गलती जानबूझकर हुई हो या बिना किसी धोखाधड़ी के।

👉 यानी अब बिना किसी Fraud/Suppression के भी Department मांग

(Demand) जारी कर सकता है।

👉 लेकिन अगर Fraud/ Suppression है, तो उच्च दंड (Penalty) लागू होंगे।

(इस धारा का विस्तार से अध्ययन CA Final स्तर पर होगा।)

Composition Scheme (धारा 10)

- यह छोटे करदाताओं के लिए एक सरल कर व्यवस्था है।
- उपधारा (5) कहती है:

👉 यदि कोई करदाता गलत तरीके से Composition Scheme अपना लेता है (जबकि वह पात्र नहीं था), तो उसे कर, दंड भरना होगा और उस पर कार्रवाई धारा 73 या 74 के तहत होगी।

संशोधन के बाद बदलाव:

अब धारा 10(5) में यह कहा गया है कि –

👉 गलत तरीके से Composition Scheme अपनाने पर कार्रवाई धारा 73, 74 या 74A में से किसी एक के तहत होगी।

प्रभाव (Impact):

- FY 2024–25 से:
- यदि Fraud/Suppression नहीं है → कार्रवाई **Sec 74A** के तहत।
- यदि Fraud/Suppression है → कार्रवाई **Sec 74** के तहत।

✓ इससे अब स्पष्ट हो गया कि Section 74A भी Composition Scheme मामलों में लागू होगा।

✅ यह था **अध्याय 4 – Composition Levy** का हिंदी अनुवाद।

👉 क्या आप चाहेंगे कि मैं अब **अध्याय 5 – Place of Supply** का भी अनुवाद करूँ?

ठीक है 👍 चलिए अब मैं **अध्याय 5 – Place of Supply** (आपूर्ति का स्थान)

को दोबारा साफ़ और आसान हिंदी में अनुवाद करके प्रस्तुत करता हूँ।

अध्याय 5 – आपूर्ति का स्थान (Place of Supply)

पृष्ठभूमि – समस्या क्यों आई?

जब कोई सेवा **Unregistered Recipient (गैर-रजिस्टर्ड ग्राहक)** को दी जाती है, तो सही **Place of Supply (POS)** तय करना ज़रूरी है।

POS से यह तय होता है कि कर लगेगा –

- **CGST + SGST** (अगर सप्लायर और ग्राहक एक ही राज्य में हैं)
- या **IGST** (अगर वे अलग-अलग राज्यों में हैं)।

👉 समस्या विशेषकर **Digital Services** (जैसे OTT Subscription, Online Gaming, E-Newspaper आदि) में आई।

क्योंकि इन मामलों में अक्सर ग्राहक का पूरा पता नहीं लिया जाता, केवल **State** का नाम दर्ज होता है।

कानूनी नियम

धारा 12(2)(b), **IGST Act** कहती है:

- अगर ग्राहक का **Address on Record** है → POS = ग्राहक का स्थान।
- अगर **Address on Record** नहीं है → POS = सप्लायर का स्थान।

नियम 46(f), **CGST Rules** कहता है:

- **Unregistered** ग्राहकों को ₹50,000 से कम सप्लाइ पर नाम/पता देना अनिवार्य नहीं है।
- लेकिन – **OIDAR Services, Online Gaming और E-Commerce Services** में हमेशा ग्राहक का **State Name** लिखना अनिवार्य है।

👉 और वही **State Name Address on Record** माना जाएगा।

नया स्पष्टीकरण (Circular No. 242/36/2024, दिनांक 31.12.2024)

अब सरकार ने स्पष्ट किया है –

- किसी भी Online Service को Unregistered ग्राहक को बेचते समय Invoice पर **ग्राहक का State Name लिखना अनिवार्य है।**
- वही State Name Address on Record माना जाएगा और POS तय करने के लिए पर्याप्त होगा।

✓ अब अगर ग्राहक का पूरा पता न हो, तो भी केवल State Name के आधार पर POS तय होगा।

किन सेवाओं पर लागू?

यह नियम निम्न सभी मामलों में लागू होगा:

- **Online/Digital Services** – जैसे OTT (Netflix, Hotstar), Online Education, Cloud Apps।
- **OIDAR Services** – जैसे Search Engine, Cloud Storage, Software Download।
- **Online Money Gaming** – जैसे Fantasy Sports, Poker, Paid Tournaments।

सप्लायर को क्या करना होगा?

- Invoice में ग्राहक का State Name दर्ज करना।
- उसी State को Address on Record मानना।
- GSTR-1/1A में सही POS भरना।
- यदि ग्राहक दूसरे राज्य का है → IGST लगेगा।

उदाहरण

- दिल्ली की कंपनी **StreamFlix Pvt. Ltd.** ने महाराष्ट्र के Ravi को ₹149 का Subscription बेचा।
- Invoice पर "Maharashtra" लिखा → POS = Maharashtra → IGST लगेगा।
- एक Gaming App ने किसी ग्राहक से ₹299 की Entry Fee ली।
- Invoice पर केवल State Name होगा → वही POS माना जाएगा।
- एक E-Magazine ₹39 में केरल के ग्राहक को बेची।
- Value कम होने पर भी State Name ज़रूरी → POS = Kerala।

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

Unregistered ग्राहकों को दी जाने वाली निम्न सेवाओं में **State Name Invoice** पर लिखना अनिवार्य है:

- Online/Digital Services
- OIDAR Services
- Online Money Gaming

✅ अब यह **अध्याय 5 – Place of Supply** का संशोधित और सरल हिंदी अनुवाद है।

👉 अब बताइए, क्या मैं आगे बढ़कर **अध्याय 7 – Time of Supply** का अनुवाद करूँ या पहले आप चाहते हैं कि मैं **Chapter 6 (Exemptions)** दोबारा आसान भाषा में कर दूँ?

बहुत बढ़िया 👍 अब मैं आपके लिए अध्याय 7 – Time of Supply (आपूर्ति का समय) का हिंदी अनुवाद कर देता हूँ।

अध्याय 7 – आपूर्ति का समय (Time of Supply)

धारा 13(3) में संशोधन – 01.11.2024 से प्रभावी

धारा 13(3) क्या है?

यह उन मामलों से संबंधित है जहाँ Reverse Charge Mechanism (RCM) लागू होता है।

👉 RCM में टैक्स सप्लायर नहीं, बल्कि Recipient (प्राप्तकर्ता) भरता है।

पुराना प्रावधान (01.11.2024 से पहले)

RCM के अंतर्गत Time of Supply इस प्रकार तय होता था:

- निम्न में से जो पहले हो:
- भुगतान की तारीख (जैसा Recipient की Books या Bank Statement में दर्ज हो), या
- सप्लायर के Invoice की तारीख से 60 दिन।
- यदि उपरोक्त से भी तारीख तय न हो सके → Recipient की Books में एंट्री की तारीख ली जाती थी।

👉 समस्या:

कई बार Invoice Recipient को ही बनाना पड़ता है (जैसे Legal Services, GTA आदि)।

पुराने कानून में इस स्थिति का जिक्र नहीं था।

नया संशोधन (01.11.2024 से)

अब एक नया क्लॉज जोड़ा गया है:

- जहाँ Invoice Recipient को बनाना है, वहाँ Time of Supply = Invoice की तारीख (जो Recipient ने जारी किया हो)।

👉 यानी अब RCM के लिए तीन विकल्प होंगे:

- भुगतान की तारीख (Books या Bank, जो पहले हो)।
- सप्लायर के Invoice की तारीख से 60 दिन।
- Recipient द्वारा जारी Invoice की तारीख (जहाँ वह खुद Invoice बनाता है)।

अगर इनसे भी तारीख तय न हो → Books में एंट्री की तारीख ली जाएगी।

सारांश तालिका (01.11.2024 से लागू)

क्रमट्रिगर पॉइंटव्याख्या(a)भुगतान की तारीखBooks या Bank में जो पहले दर्ज हो(b)सप्लायर के Invoice की तारीख से 60 दिनजब सप्लायर Invoice जारी करता है(c)Recipient द्वारा जारी Invoice की तारीखजब Invoice बनाना Recipient की जिम्मेदारी हो (जैसे Legal Services)
(Fallback)Books में एंट्री की तारीखअगर ऊपर से तय न हो पाए

✅ यह था **अध्याय 7 – Time of Supply** का हिंदी अनुवाद।

👉 अब बताइए, क्या मैं अगले हिस्से **अध्याय 9 – Input Tax Credit (ITC)** का अनुवाद शुरू करूँ?

बहुत बढ़िया 👍 अब मैं आपके लिए अध्याय 7 – Time of Supply (आपूर्ति का समय) का हिंदी अनुवाद कर देता हूँ।

अध्याय 7 – आपूर्ति का समय (Time of Supply)

धारा 13(3) में संशोधन – 01.11.2024 से प्रभावी

धारा 13(3) क्या है?

यह उन मामलों से संबंधित है जहाँ Reverse Charge Mechanism (RCM) लागू होता है।

👉 RCM में टैक्स सप्लायर नहीं, बल्कि Recipient (प्राप्तकर्ता) भरता है।

पुराना प्रावधान (01.11.2024 से पहले)

RCM के अंतर्गत Time of Supply इस प्रकार तय होता था:

- निम्न में से जो पहले हो:
- भुगतान की तारीख (जैसा Recipient की Books या Bank Statement में दर्ज हो), या
- सप्लायर के Invoice की तारीख से 60 दिन।
- यदि उपरोक्त से भी तारीख तय न हो सके → Recipient की Books में एंट्री की तारीख ली जाती थी।

👉 समस्या:

कई बार Invoice Recipient को ही बनाना पड़ता है (जैसे Legal Services, GTA आदि)।

पुराने कानून में इस स्थिति का जिक्र नहीं था।

नया संशोधन (01.11.2024 से)

अब एक नया क्लॉज जोड़ा गया है:

- जहाँ Invoice Recipient को बनाना है, वहाँ Time of Supply = Invoice की तारीख (जो Recipient ने जारी किया हो)।

👉 यानी अब RCM के लिए तीन विकल्प होंगे:

- भुगतान की तारीख (Books या Bank, जो पहले हो)।
- सप्लायर के Invoice की तारीख से 60 दिन।
- Recipient द्वारा जारी Invoice की तारीख (जहाँ वह खुद Invoice बनाता है)।

अगर इनसे भी तारीख तय न हो → Books में एंट्री की तारीख ली जाएगी।

सारांश तालिका (01.11.2024 से लागू)

क्रमट्रिगर पॉइंटव्याख्या(a)भुगतान की तारीखBooks या Bank में जो पहले दर्ज हो(b)सप्लायर के Invoice की तारीख से 60 दिनजब सप्लायर Invoice जारी करता है(c)Recipient द्वारा जारी Invoice की तारीखजब Invoice बनाना Recipient की जिम्मेदारी हो (जैसे Legal Services)
(Fallback)Books में एंट्री की तारीखअगर ऊपर से तय न हो पाए

✅ यह था **अध्याय 7 – Time of Supply** का हिंदी अनुवाद।

👉 अब बताइए, क्या मैं अगले हिस्से **अध्याय 9 – Input Tax Credit (ITC)** का अनुवाद शुरू करूँ?

ठीक है 👍 अब मैं आपके लिए अध्याय 9 – Input Tax Credit (ITC) का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करता हूँ।

अध्याय 9 – इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)

धारा 17(5)(i) में संशोधन – 01.11.2024 से प्रभावी

धारा 17(5)(i) किस बारे में है?

यह उन परिस्थितियों को बताती है जहाँ Input Tax Credit (ITC) नहीं लिया जा सकता।

पुराना प्रावधान (संशोधन से पहले)

- धारा 17(5)(i) कहती थी कि यदि टैक्स धारा 74, 129 या 130 के तहत चुकाया गया है, तो उस पर ITC नहीं मिलेगा।

👉 यानी:

- धारा 74 – Fraud, Suppression या गलत बयानी के कारण माँगा गया टैक्स।
- धारा 129 – माल की जब्ती/रोके जाने पर टैक्स।
- धारा 130 – माल की Confiscation (जप्ती) पर टैक्स।

इन तीनों पर ITC ब्लॉक था।

नया संशोधन (01.11.2024 से)

अब धारा 17(5)(i) को बदला गया है –

- अब यह कहता है कि:

👉 "धारा 74 के अंतर्गत FY 2023-24 तक के मामलों में चुकाया गया टैक्स ITC के लिए अवैध होगा।"

- धारा 129 और 130 का जिक्र अब हटा दिया गया है।

✓ यानी अब केवल FY 2023-24 तक के Fraud/Suppression मामलों में चुकाया गया टैक्स ITC के लिए ब्लॉक रहेगा।

स्पष्टीकरण – Ex-Works (EXW) Contract में

ITC की उपलब्धता

[Circular No. 241/35/2024-GST दिनांक 31.12.2024]

1. पृष्ठभूमि – EXW Contract क्या होता है?

कई उद्योगों (जैसे Automobile Sector) में Ex-Works Contract चलता है।

इसमें:

- सप्लायर (जैसे Car Manufacturer) माल को Factory Gate पर Transporter को सौंप देता है।
- Transport की व्यवस्था और Risk का जिम्मा **Buyer (Dealer)** का होता है।

2. समस्या

प्रश्न उठा कि –

👉 क्या Dealer तभी ITC ले सकता है जब माल उसकी Godown तक पहुँचे, या जब Supplier ने Factory Gate पर Transporter को सौंप दिया, तभी ITC उपलब्ध हो जाएगा?

3. स्पष्टीकरण

धारा 16(2)(b) के अनुसार:

- यदि सप्लायर माल **Recipient** के निर्देश पर Transporter को सौंप देता है,

👉 तो इसे माना जाएगा कि Recipient को माल मिल चुका है।

✓ इसलिए EXW Contract में Dealer तुरंत ITC ले सकता है, भले ही माल अभी उसके पास न पहुँचा हो।

4. उदाहरण

- Hyundai (Tamil Nadu) ने Gujarat के Dealer को गाड़ियाँ बेचीं।
- EXW Contract के अनुसार गाड़ियाँ Chennai की Factory से Transporter को दी गईं।
- Transporter Dealer के निर्देश पर काम कर रहा है।

👉 Dealer उसी समय ITC ले सकता है, भले ही गाड़ियाँ Gujarat में बाद में पहुँचें।

5. सावधानी

भले ही ITC जल्दी ले सकते हैं, लेकिन यह बाद में Deny भी हो सकता है यदि –

- माल Business Use में न लिया गया हो।
- माल चोरी/नष्ट हो गया हो।
- माल उपहार या Free Sample में बाँटा गया हो।

सारांश तालिका

प्रावधानस्पष्टीकरणधारा 16(2)(b) ITC तभी मिलेगा जब माल “प्राप्त” हुआ हो।
Explanation Transporter को सौंपना भी “प्राप्त” माना जाएगा। EXW Contract Factory Gate पर सौंपने पर ही Dealer को ITC मिलेगा। ITC न मिले यदि... माल चोरी, गिफ्ट या नॉन-बिज़नेस Use में चला गया।

✅ यह था **अध्याय 9 – Input Tax Credit (ITC)** का हिंदी अनुवाद।

👉 क्या मैं अब **अध्याय 10 – Registration (पंजीकरण)** का अनुवाद करूँ?

ठीक है 👍 मैं आपके लिए **अध्याय 10 – Registration (पंजीकरण)** का पूरा और साफ़ हिंदी अनुवाद फिर से प्रस्तुत कर देता हूँ ताकि कोई भी बिंदु छूटे नहीं।

अध्याय 10 – पंजीकरण (Registration)

धारा 23 में संशोधन – प्रभावी 01.11.2024

पुराना प्रावधान

धारा 22 कहती है कि –

- यदि किसी व्यक्ति का **Aggregate Turnover Threshold Limit** (₹20 लाख/₹40 लाख/₹10 लाख – राज्य के अनुसार) से अधिक है, तो उसे GST Registration लेना होगा।

धारा 23 कहती है कि –

- निम्न परिस्थितियों में GST Registration की ज़रूरत नहीं:
- केवल **Exempt Supply** करने वाले व्यक्ति को।
- वह व्यक्ति जो केवल ऐसी आपूर्ति करता है जिस पर Tax हमेशा **Reverse Charge Mechanism (RCM)** के अंतर्गत लगाया जाता है।

👉 समस्या यह थी कि धारा 22 और 23 एक-दूसरे से टकराते थे।

उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति केवल Exempt Supply करता है और उसका Turnover ₹50 लाख है – धारा 22 कहेगी Registration लो, धारा 23 कहेगी ज़रूरत नहीं।

नया संशोधन

01.11.2024 से धारा 23 को बदला गया।

अब यह साफ़ कर दिया गया है कि –

👉 यदि कोई व्यक्ति धारा 23 के तहत छूट पाने का पात्र है, तो उसे Registration लेने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही धारा 22 के अनुसार उसका Turnover Threshold से ऊपर हो।

✓ यानी धारा 23, धारा 22 पर **Override** करेगी।

व्यावहारिक उदाहरण

- केवल Exempt Supply

- एक किसान केवल गेहूँ बेचता है (Exempt)।
- Turnover = ₹80 लाख।
- धारा 22: Registration लो (क्योंकि Turnover Limit से अधिक है)।
- धारा 23: केवल Exempt Supply है → Registration की ज़रूरत नहीं।

✅ संशोधन के बाद – Registration नहीं लेना।

- **Reverse Charge Case**
- एक वकील केवल Corporate Clients को Legal Service देता है।
- इन पर Tax हमेशा Client RCM से भरता है।

✅ अब वकील को Registration की ज़रूरत नहीं।

Notification No. 04/2025 – CT दिनांक 16.01.2025

- सरकार ने यह Notification जारी करके **Government Departments, Local Authorities और Statutory Bodies** को भी Registration से छूट दी है,

👉 यदि वे केवल ऐसी सेवाएँ देते हैं जिन पर Tax हमेशा RCM से लिया जाता है।

सारांश (Summary)

- धारा 23 अब धारा 22 पर हावी होगी।
- केवल Exempt Supply करने वालों को Registration की ज़रूरत नहीं।
- केवल RCM सेवाएँ देने वालों को भी Registration की ज़रूरत नहीं।
- सरकारी विभागों और Local Authorities को भी अतिरिक्त छूट।

✅ यह था **अध्याय 10 – Registration** का पूरा हिंदी अनुवाद।

👉 अब बताइए, क्या मैं आगे **अध्याय 11 – Tax Invoice, Credit & Debit Notes** का हिंदी अनुवाद शुरू करूँ?

I found Chapter 11 – Tax Invoice; Credit and Debit Notes in your file. I'll translate it into Hindi for you:

अध्याय 11 – टैक्स इनवॉइस; क्रेडिट और डेबिट नोट्स

धारा 31(3)(f) में संशोधन (प्रभावी: 01-11-2024 से)

पृष्ठभूमि: रिवर्स चार्ज के मामले में इनवॉइस?

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) में जीएसटी सप्लायर नहीं बल्कि प्राप्तकर्ता (recipient) सीधे सरकार को टैक्स देता है।

लेकिन यदि सप्लायर जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो इनवॉइस कौन जारी करेगा?

👉 उत्तर: ऐसे मामलों में धारा 31(3)(f) के अनुसार प्राप्तकर्ता स्वयं इनवॉइस जारी करेगा।

पहले की स्थिति

धारा 31(3)(f) कहती थी:

यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी अपंजीकृत सप्लायर से माल/सेवाएं प्राप्त करता है, तो उसे स्वयं इनवॉइस जारी करनी होगी।

समस्याएँ:

1. इनवॉइस जारी करने की समय-सीमा तय नहीं थी।

2. यदि सप्लायर केवल TDS (धारा 51) के लिए रजिस्टर्ड है, जैसे कि सरकारी विभाग/PSU, तो सवाल उठता था – क्या इन्हें “unregistered” माना जाए?

नए संशोधन में क्या बदला?

1. अब धारा 31(3)(f) में एक प्रावधान (proviso) जोड़ा गया है –

→ सरकार अब नियम बनाकर इनवॉइस जारी करने की समय सीमा तय कर सकती है।

2. एक स्पष्टीकरण (explanation) जोड़ा गया है –

“सिर्फ TDS (धारा 51) के लिए रजिस्टर्ड सप्लायर” को इस प्रयोजन के लिए unregistered supplier माना जाएगा।

👉 इसका मतलब: यदि सप्लायर केवल TDS के लिए रजिस्टर्ड है, तो भी प्राप्तकर्ता को RCM के तहत इनवॉइस जारी करनी होगी।

त्वरित सारांश (Revision के लिए):

बिंदु व्याख्या

RCM में इनवॉइस कौन बनाएगा? प्राप्तकर्ता (यदि सप्लायर unregistered है)

संशोधन 1 अब इनवॉइस बनाने की समय सीमा नियम द्वारा तय की जा सकेगी

संशोधन 2 केवल TDS हेतु रजिस्टर्ड सप्लायर भी “unregistered” माने जाएंगे

लागू होने की तिथि 01-11-2024

नए नियम: Rule 47A (Notification No. 20/2024, प्रभावी 01-11-2024 से)

पहले समस्या:

RCM के मामलों में प्राप्तकर्ता को इनवॉइस जारी करनी होती थी, लेकिन समय-सीमा तय नहीं थी।

अब समाधान:

Rule 47A जोड़ा गया है →

प्राप्तकर्ता को इनवॉइस माल/सेवा प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जारी करनी होगी।

उदाहरण:

15 नवम्बर 2024 को एक कंपनी ने अनरजिस्टर्ड वकील से लीगल कंसल्टेंसी ली।

यह RCM (धारा 9(3)) के तहत टैक्सबल है।

कंपनी को RCM के तहत टैक्स भरना है और Rule 47A के अनुसार 15 दिसम्बर 2024 तक self-invoice जारी करनी होगी।

यदि कंपनी 30 दिन के अंदर इनवॉइस जारी नहीं करती, तो ब्याज/पेनल्टी या ITC न मिलने जैसी समस्याएँ आ सकती हैं।



मुख्य बिंदु याद रखने योग्य:

RCM में इनवॉइस प्राप्तकर्ता जारी करेगा।

अब समय सीमा = 30 दिन (Rule 47A)।

केवल TDS हेतु रजिस्टर्ड सप्लायर को भी unregistered माना जाएगा।

लागू: 1 नवम्बर 2024 से।

क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी संक्षिप्त नोट्स (bullet points में) बना दूँ ताकि आप इसे सीधे CA Inter exam revision के लिए इस्तेमाल कर सकें?

ठीक है 👍

अब मैं आपको Chapter 12 – Accounts and Records (अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स) का हिंदी अनुवाद देता हूँ:

अध्याय 12 – अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स

धारा 35(6) में संशोधन (प्रभावी: 01-11-2024 से)

पृष्ठभूमि: धारा 35(6) क्या कहती है?

हर पंजीकृत व्यक्ति (Registered Person) को जीएसटी के तहत:

माल/सेवाओं का उचित लेखा-जोखा (proper accounts) रखना होता है।

Inward और Outward सप्लाई, स्टॉक, ली गई ITC, और भरे गए टैक्स का रिकॉर्ड रखना होता है।

👉 लेकिन यदि कोई व्यक्ति कुछ माल/सेवाओं का रिकॉर्ड रखने में असफल हो जाता है, तो पहले कानून में प्रावधान था कि:

अधिकारी (Proper Officer) ऐसे माल/सेवाओं को deemed supply (मान लिया गया सप्लाई) मान सकता है।

और फिर उस पर टैक्स निर्धारित करके धारा 73 या 74 के तहत रिकवरी कर सकता है।

संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी?

फाइनेंस एक्ट (No. 2), 2024 के द्वारा नई धारा 74A जोड़ी गई है।
यह धारा गलत तरीके से ली गई या उपयोग की गई ITC आदि से संबंधित है।

इसलिए जहाँ-जहाँ पुरानी धारा 73/74 का उल्लेख था, वहाँ अब 74A को भी शामिल करना पड़ा।
इसी कारण धारा 35(6) में संशोधन किया गया।

संशोधित प्रावधान:

पहले की भाषा:

“...ऐसे माल/सेवाओं को सप्लाई माना जाएगा और उन पर धारा 73 या 74 लागू होगी।”

नई भाषा:

“...ऐसे मामलों में धारा 73, धारा 74 या धारा 74A लागू होगी।”

इसका मतलब:

अब अधिकारी निम्न आधार पर रिकवरी कर सकता है –

1. धारा 73 – यदि कोई फ्रॉड या जानबूझकर छिपाना नहीं है।
2. धारा 74 – यदि फ्रॉड, जानबूझकर तथ्य छिपाना, या गलत बयानी है।
3. धारा 74A – यदि ITC का गलत उपयोग/गलत तरीके से avail किया गया है।

✓ मुख्य बिंदु (Revision के लिए):

हर पंजीकृत व्यक्ति को proper accounts रखने होंगे।

यदि कोई माल/सेवा unaccounted पाई जाती है → उसे सप्लाई माना जाएगा।

अब अधिकारी धारा 73, 74 या 74A के तहत कार्रवाई कर सकता है।

संशोधन प्रभावी: 1 नवम्बर 2024 से।

क्या आप चाहेंगे कि मैं इस Ch-12 का flowchart / table बनाकर और आसान तरीके से exam notes के रूप में तैयार कर दूँ?

बहुत बढ़िया 👍

अब मैं आपको Chapter 13 – E-Way Bill (ई-वे बिल) का हिंदी अनुवाद देता हूँ:

अध्याय 13 – ई-वे बिल

यूनिक एनरोलमेंट नंबर (UEN) जारी करना

[Rule 138(3) में संशोधन]

[Notification No. 09/2025 CT दिनांक 11.02.2025, प्रभावी 11.02.2025 से]

पृष्ठभूमि

Rule 138(3) CGST Rules यह बताता है कि माल की आवाजाही (movement of goods) के लिए ई-वे बिल बनाना कब आवश्यक है।

👉 पहले:

अनरजिस्टर्ड व्यक्ति (Unregistered Persons) बिना किसी पोर्टल रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट के सीधे ई-वे बिल बना सकते थे।

👉 अब:

CBIC ने संशोधन करके यह नियम बनाया है कि कुछ श्रेणी के unregistered

persons को पहले Unique Enrolment Number (UEN) लेना होगा, तभी वे ई-वे बिल जेनरेट कर पाएंगे।

नया प्रावधान (11.02.2025 से लागू)

Rule 138(3) में चौथा प्रावधान (4th Proviso) जोड़ा गया है:

कुछ अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों को ई-वे बिल बनाने से पहले UEN प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रक्रिया:

1. GST पोर्टल पर अपनी जानकारी भरनी होगी।
2. जानकारी वेरिफाई होने के बाद UEN जारी होगा।
3. ई-वे बिल बनाते समय यह UEN इस्तेमाल करना होगा।

किन्हीं UEN लेना ज़रूरी है?

1. हस्तशिल्प (Handicraft) के अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, जो इंटर-स्टेट सप्लाई करते हैं (और जिन्हें रजिस्ट्रेशन से छूट है) → अब ई-वे बिल बनाने के लिए UEN लेना होगा (किसी भी वैल्यू पर)।

2. कोई भी अन्य अनरजिस्टर्ड व्यक्ति, जो स्वेच्छा से (voluntarily) ई-वे बिल बनाना चाहता है → पहले UEN लेना होगा।

उदाहरण

एक अनरजिस्टर्ड कारीगर (artisan) राजस्थान से दिल्ली लकड़ी के खिलौने भेजता है।

👉 11.02.2025 से पहले:

कारीगर सीधे ई-वे बिल बना सकता था, भले ही consignment की वैल्यू ₹50,000 से कम हो।

👉 11.02.2025 के बाद:

1. पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके UEN लेना होगा।

2. फिर UEN का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करना होगा।

3. UEN के बिना ई-वे बिल नहीं बनाया जा सकता।

✅ मुख्य बिंदु (Revision के लिए):

नया नियम: Rule 138(3) में चौथा Proviso।

लागू: 11 फरवरी 2025 से।

अब कुछ अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों को पहले Unique Enrolment Number (UEN) लेना होगा।

जिन पर लागू:

1. Inter-state handicraft suppliers (भले ही रजिस्ट्रेशन से छूट हो)।
2. कोई भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति जो voluntarily ई-वे बिल बनाना चाहता है।

क्या आप चाहेंगे कि मैं Ch-13 (E-Way Bill) को एक छोटे diagram/ flowchart के रूप में बना दूँ ताकि यह और जल्दी revise हो सके?

बहुत अच्छा 🙏

अब मैं आपको Chapter 14 – Payment of Tax (कर का भुगतान) का हिंदी अनुवाद देता हूँ:

अध्याय 14 – कर का भुगतान

धारा 49(8) में संशोधन (प्रभावी: 01-11-2024 से)

पुराना प्रावधान (संशोधन से पहले)

हर पंजीकृत करदाता को अपना टैक्स और अन्य देय राशि निम्न क्रम में चुकानी होती थी:

1. स्व-मूल्यांकन कर (Self-assessed tax) और पिछले टैक्स पीरियड की अन्य देनदारियाँ।
2. स्व-मूल्यांकन कर और वर्तमान टैक्स पीरियड की अन्य देनदारियाँ।
3. अन्य सभी देनदारियाँ, जिनमें धारा 73 या 74 के अंतर्गत तय की गई मांग शामिल है।

नया प्रावधान (संशोधन के बाद)

अब धारा 49(8) में यह जोड़ा गया है:

3. अन्य सभी देनदारियाँ, जिनमें धारा 73, 74 या 74A के अंतर्गत तय की गई मांग शामिल है।

👉 नया बदलाव: सिर्फ “74A” को जोड़ दिया गया है।

इसका अर्थ है कि अब ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) से संबंधित गलत उपयोग/ डिमांड भी पहले self-assessed tax चुकाने के बाद ही चुकाई जाएगी।

धारा 50(1) में संशोधन (प्रभावी: 01-11-2024 से)

पुराना प्रावधान

यदि कोई करदाता अपना रिटर्न देर से फाइल करता है (लेकिन धारा 73 या 74 के तहत नोटिस जारी होने से पहले), तो ब्याज (Interest) केवल उस हिस्से पर लगेगा जो कैश से भरा गया है, ITC से भरे गए हिस्से पर नहीं।

नया प्रावधान

अब अपवाद (exception) में धारा 74A भी जोड़ दिया गया है।
यानि, यदि रिटर्न देर से भरा गया और उस पर proceedings धारा 73, 74 या 74A के तहत शुरू हो चुकी हैं,
तो ब्याज छूट केवल उसी स्थिति तक सीमित होगी, अन्यथा नहीं।

Rule 88B में संशोधन (Notification No. 20/2024, प्रभावी 01-11-2024 से)

Rule 88B यह बताता है कि टैक्स के देर से भुगतान पर ब्याज कैसे निकाला जाएगा।

👉 अब इसमें भी धारा 74A का उल्लेख जोड़ दिया गया है।

मतलब – ब्याज की गणना करते समय अब 73, 74 के साथ 74A भी ध्यान में रखा जाएगा।

✅ मुख्य बिंदु (Revision के लिए):

धारा 49(8): टैक्स भुगतान की प्राथमिकता क्रम में अब 74A भी शामिल।

धारा 50(1): देर से रिटर्न भरने पर ब्याज नियम में अब 74A का भी अपवाद।

Rule 88B: ब्याज की गणना में 74A जोड़ा गया।

लागू: 1 नवम्बर 2024 से।

क्या आप चाहेंगे कि मैं Ch-14 को एक टेबल (Before vs After Amendment) के रूप में तैयार कर दूँ ताकि exam में जल्दी revise किया जा सके?

बहुत बढ़िया 👍

अब मैं आपको Chapter 15 – Tax Deduction at Source (TDS) और Tax Collection at Source (TCS) का हिंदी अनुवाद देता हूँ:

अध्याय 15 – स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रहण (TCS)

धारा 51(7) में संशोधन (प्रभावी: 01-11-2024 से)

पृष्ठभूमि: यह बदलाव क्यों ज़रूरी था?

जीएसटी में धारा 51 TDS से संबंधित है।

कुछ सरकारी विभाग और अधिसूचित (Notified) व्यक्ति जब सप्लायर को भुगतान करते हैं तो उन्हें TDS काटकर सरकार के पास जमा करना होता है।

👉 लेकिन प्रश्न यह था कि यदि TDS में डिफॉल्ट हो जाए (कम जमा या बिल्कुल जमा न हो), तो उस डिफॉल्ट की राशि का निर्धारण कैसे होगा?

पुराना प्रावधान (संशोधन से पहले)

धारा 51(7) कहती थी कि डिफॉल्ट राशि का निर्धारण धारा 73 (Non-fraud cases) या धारा 74 (Fraud / Misstatement cases) के अनुसार होगा।

नया प्रावधान (संशोधन के बाद)

अब धारा 51(7) को संशोधित करके यह कहा गया है:
डिफॉल्ट राशि का निर्धारण धारा 73, धारा 74 या धारा 74A के अनुसार किया जा सकता है।

👉 मतलब अब विभाग को तीनों धाराओं का उपयोग करने की सुविधा है:

1. धारा 73 – यदि कोई फ्रॉड/जानबूझकर छुपाना नहीं है।
2. धारा 74 – यदि फ्रॉड, गलत बयानी या suppression है।
3. धारा 74A – यदि मामला गलत ITC / गलत रिफंड से जुड़ा है।

आसान भाषा में एक लाइन सारांश

अब यदि कोई TDS डिफॉल्ट करता है, तो सरकार उस डिफॉल्ट का निर्धारण Sec 73, 74 या 74A के तहत कर सकती है –
इस पर निर्भर करेगा कि मामला fraud है, non-fraud है, या गलत ITC/ रिफंड से संबंधित है।

✅ मुख्य बिंदु (Revision के लिए):

पहले: सिर्फ धारा 73 या 74 लागू होती थी।

अब: धारा 73, 74 या 74A तीनों लागू हो सकती हैं।

लागू तिथि: 1 नवम्बर 2024 से।

क्या आप चाहेंगे कि मैं Ch-15 का Before vs After (तालिका रूप में) बना दूँ ताकि यह और जल्दी रिवाइज हो सके?